रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2017/फाल्गुन 2, 1938
No. 124] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2017/PHALGUNA 2, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 152(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 12, 27 और 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ;

इन प्रारुप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), (ई-मेल- js.tpt@gov.in) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे ।

प्रारुप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2017 है ।
   (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,--

(i) नियम 14 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् भारी माल यान या भारी यात्री यान को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति हेतु कोई आवेदन के साथ आवेदक द्वारा स्कूल या स्थापन, जहां से उसने अनुदेश प्राप्त किए हैं, द्वारा जारी प्ररूप 5अ में प्रमाणपत्र लगा होना चाहिए ।";

(ii) नियम 17 में उपनियम (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(खख) 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् चालन अनुज्ञप्ति में भारी माल यान या भारी यात्री यान को चलाने के लिए संयोजन कराने हेतु आवेदन के साथ प्ररूप 5अ में प्रमाणपत्र लगा होना चाहिए ;";

(iii) नियम 18 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1अ) 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् भारी माल यान या भारी यात्री यान को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन के साथ प्ररूप 5अ में प्रमाणपत्र लगा होना चाहिए।";

(iv) नियम 31 में उपनियम (1) में सारणी में शीर्षक ङ मंझोले और भारी वाहनों की ड्राइविंग : ड्राइविंग थ्योरी-2 के अधीन क्रम सं. 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :--

20	भारी माल यान या भारी यात्री यान को चलाने हेतु ईंधन प्रगुण चालन पर प्रशिक्षण	(क) प्रशिक्षण से पहले चालन दक्षता परीक्षण उचित सेट अप के प्रयोग द्वारा कि.मी. या लीटर के संदर्भ में ईंधन प्रगुण को मूल्यांकन करने के लिए कम से कम 5 कि.मी. लंबी सड़क पर किया जाना चाहिए। (ख) कक्षा में या स्थल पर प्रशिक्षण में कमियों या खामियों या नकारात्मक बिन्दुओं पर चर्चा के साथ नोट की गई प्रोत्साहन या महत्वपूर्ण या सकारात्मक या अच्छी आदतों, जिनको प्रारंभिक चालन परीक्षण के दौरान देखा गया है और ईंधन दक्षता और यान अनुरक्षण की महत्ता का भी संचालन किया जाएगा। (ग) प्रशिक्षण के उपरांत चालन निष्पादन परीक्षण को समुचित सेटअप और जांच प्रक्रिया का उपयोग करते हुए किलोमीटर या लीटर के निबंधनों में ईंधन दक्षता में सुधार के मूल्यांकन के लिए कम से कम पाँच किलोमीटर लंबी सड़क पर संचालित किया जाएगा। (घ) समुचित भारी वाणिज्यिक यान, जिनकी ईंधन उपभोग मापन शुद्धता पाँच प्रतिशत के बराबर या उससे बेहतर है, का उपयोग चालन परीक्षण जांच करने के लिए किया जाएगा। (ङ) परीक्षण के लिए कम से कम पाँच किलोमीटर लंबाई वाले समुचित परीक्षण ट्रैक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें कम से कम तीन गति अवरोधक और तीन बाएं या दाएं मोड़ हों। (च) प्रशिक्षण की अवधि कम से कम एक दिन। (छ) प्ररूप 5क में प्रमाणपत्र स्कूल या स्थापन द्वारा जारी किया जाएगा।

(v) प्ररूप 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 5क

[नियम 14(1), 17(1), 18(1क), 31(1) (सारणी ङ क्रम सं. 20]

चालन स्कूल या स्थापन द्वारा जारी ईंधन प्रगुण चालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... आधार सं. .... निवास .... इस स्कूल में .... तारीख को नामांकित हुए तथा उसका नाम प्ररूप 14 में हमारे रजिस्टर में क्र.सं. ………………… पर रजिस्ट्रीकृत है और उसने .... से .... अवधि तक नियम 31 की सारणी ङ क्रम सं. 20 पर विहित पाठ्यक्रम के अनुसार भारी माल यान/भारी यात्री मोटर यान की ईंधन प्रगुण चालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किया है।

तारीख : ....

हस्ताक्षर ....

नाम.................................

पदनाम............................

नाम और ड्राइविंग स्कूल का

पता अनुज्ञप्ति सहित ....

....

....

[फा.सं. आरटी-11028/14/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. (अ), तारीख द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2017

G.S.R.152(E).— The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 12, 27 and 118 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3. The objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi, within the period, specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, -

(i) in rule 14, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that on and after the 1st day of April, 2018, an application for a licence to drive a heavy goods vehicle or a heavy passenger motor vehicle shall also be accompanied by a certificate in Form 5A issued by the school or establishment from where the applicant received the instruction.";

(ii) in rule 17, in sub-rule (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(bb) on and after the 1st day of April, 2018, an application for addition of a heavy goods vehicle or a heavy passenger motor vehicle to the driving licence shall be accompanied by a certificate in Form 5A;" ;

(iii) in rule 18, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) On and after the 1st day of April, 2018, an application for renewal of a licence to drive a heavy goods vehicle or a heavy passenger motor vehicle shall also be accompanied by a certificate in Form 5A ." ;

(iv) in rule 31, in sub-rule (1), in the table, in the entries under heading E. Medium and Heavy Vehicle Driving : Driving thereby –II", for serial number 20 and the entries relating thereto, following shall be substituted, namely :-

20	Training on fuel efficient driving of heavy goods vehicle/heavy passenger motor vehicle	a) Driving performance test before training shall be conducted on at least 5 kilometer road length to evaluate fuel efficiency in terms of kilometer or litre by using suitable set up and test procedure. b) Class room or onsite training consisting of discussion on drawbacks or shortcomings or negative points as well as encouraging or worthy or positive or good habits noted or observed during initial driving test and importance of fuel efficiency and vehicle maintenance shall be conducted. c) Driving performance test after training shall be conducted on at least 5 kilometer road length to evaluate the improvement in fuel efficiency in terms of kilometer or litre by using suitable set up and test procedure. d) Suitable heavy commercial vehicle shall be used to carry

		out driving test having fuel consumption measurement accuracy equal to or better than 5 percent. e) An appropriate test track of at least 5 kilometer length for testing shall be used having at least three speed brakes and three left or right turns. f) Training duration shall be of at least one day. g) A certificate in Form 5A shall be issued by the school or establishment."

(v) after FORM 5, the following form shall be inserted, namely:-

"**FORM 5A**

[See rules 14(1), 17(1),18(1A) 31(1)(Table E Sr. no. 20)]

CERTIFICATE OF FUEL EFFICIENT DRIVING TRAINING ISSUED BY DIRIVING SCHOOL OR ESTABLISHMENT

This is to certify that Shri / Smt. / Kumari …………………………….. son / wife / daughter of …………………………………………………Aadhaar number …………………………………….. residing at ………………………………………………………………… was enrolled in this school on ………………………… and his/her name is registered at serial number ………… in our register in Form 14 and that he/she has undergone the course of training on fuel efficient driving of heavy goods vehicle / heavy passenger motor vehicle according to the syllabus prescribed at Sr.no. 20 of Table E of rule 31 for the period from …………………. to …………………. satisfactorily.

Date …………… Signature…………………

Name ………………………….

Designation ………………………….

Name and address of the driving school with licence number ………………………….

……………………….…………………………….

……………………….…………………………….."

[F. No.RT-11028/14/2016-MVL]

ABHAY DAMLE**,** Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide notification number GSR 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification G.S.R. (E) dated .

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.02.25 14:48:05 +05'30'